सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत अनुपालन Compliance under Section 4(1) (b) of Right to Information Act, 2005

आरटीआई	आरटीआई अधिनियम के	विवरण Details		
अधिनियम की	तहत आवश्यकता			
धारा Section	Requirement under the			
of DTLA.4	RTI Act			
RTI Act		\		
4(1)(बी)(i) 4(1)(b)(i)	संगठन, गतिविधियां और	रेलवे का मौलिक कार्य है माल और यात्रियों का परिवहन करना.		
T(1)(0)(1)	ड्यूटियों का विवरण Particulars of organization , functions & duties	कुशल रेल परिचालनों के लिए फिट और स्वस्थ कर्मचारियों की		
		आवश्यकता के मद्देनजर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की		
		भूमिका को अधिक सराहना की जा सकती है. दक्षिण मध्य रेलवे के		
		चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए		
		आधुनिक एवं लागत प्रभावी तकनीक व प्रौद्योगिकी के उपयोग		
		द्वारा प्रत्येक डॉक्टर और पैरामेडिक कर्मचारी की समर्पित सेवा के		
		माध्यम से रोगियों की संपूर्ण संतुष्टि हेतु अत्युत्तम स्वास्थ्य देखभाल		
		सेवाएं प्रदान करना अपना मिशन बनाया है.		
		Railway's primary business is to transport goods and passengers. The role of Medical and Health Department can be best appreciated in view of the need to have fit and healthy employees for efficient railway operations. The Medical and Health Department of the South Central Railway has adopted providing total patient satisfaction through humane approach and shared commitment of every single Doctor and Paramedic & provision of quality health care using modern and cost effective techniques and technologies as its mission. यह लक्ष्य रेलवे के चिकित्सा विभाग को पर्याप्त उपचार, प्रचार-प्रसार		
		और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना; रेल दुर्घटनाओं में घायल		
		यात्रियों को त्वरित राहत देने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बक्स सहित		
		दुर्घटना राहत उपकरण प्रदान करना और उनका रखरखाव करना;		
		गाड़ियों में या रेलवे स्टेशनों पर घायल या गंभीर रूप से बीमार		
		यात्रियों की देखभाल करना; नामित रेलवे स्टेशनों और कॉलोनियों में		
		स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करना,		
		सुरक्षित पेयजल और मिलावट रहित खाद्य पदार्थों की निगरानी		
		करना; अस्पताल कचरे के निपटान के लिए उपाय करना; प्रभावी		
		मापदंडों और विभागीय पर्यवेक्षण और मेडिकल ऑडिट आदि के		
		माध्यम से श्रमशक्ति की पर्याप्तता और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं		
		की प्रभावकारिता का आकलन करने का निदेश देता है. रेलवे में		
		स्वास्थ्य सुविधाएं तीन स्तरों पर प्रदान की जाती हैं, प्राथमिक,		
		माध्यमिक और तृतीयक. प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयां सभी		
		प्रभागों में फैली हुई हैं; मंडल अस्पताल माध्यमिक स्वास्थ्य		
		सुविधाओं की श्रेणी में आते हैं जबकि केंद्रीय अस्पताल में तृतीयक		
		देखभाल केंद्र होते हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व रेल		
		मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं) करते हैं.		
		प्रत्येक जोनल रेलवे के मुख्यालय में मुख्य चिकित्सा निदेशक जोनल		

रेलवे में सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य मामलों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं.

The mission statement enjoins upon the medical department of the railways to provide adequate curative, promotive and preventive health services; provide and maintain accident relief medical equipment, including first aid boxes, to give prompt relief to passengers injured in railway accidents; attend to passengers injured or taken seriously ill in trains or at railway stations; Providing technical advice for sanitation hygiene and cleanliness at nominated railway stations & colonies monitoring safe drinking water and un-adulterated eatables take measures for disposal of hospital waste; assess adequacy of manpower and efficacy of health care services through effective and adequacy of departmental supervision parameters medical audit etc. Health facilities in the railway provided at three levels viz., primary, secondary andtertiary At primary level Health Units are scattered all over the Divisions; Divisional Hospitals come under the category of secondary health facilities while Central Hospitals comprise the tertiary care centers. Medical and Health Department is headed by Director General (Railway Health Services) in the Ministry of Railways (Railway Board). Chief Medical Directors at headquarters of each zonal railway are responsible for administrative control of all the medical and health matters in the zonal railway.

4(1)(बी)(ii) 4(1)(b)(ii)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं इयुटियां The powers and duties of the officers and employees

संगठन में सभी स्तरों पर चिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ गैर-चिकित्सा अधिकारियों की शक्तियां अच्छी तरह से परिभाषित हैं. इ्यूटियां विभागवार सौंपे गए हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों के वैध कर्तव्य के लिए रेल मंत्रालय/ रेलवे बोर्ड/आईआर कार्मिक/कोड और मैन्अल/भाग बी मैन्अल /भारतीय रेलवे मेडिकल मैन्अल वॉल्य्म - I के तहत भारतीय रेलवे की वेबसाइट http://www. Indianrailways.gov.in देखें.

The powers of Medical officials as well as non-medical officials are well defined at all levels in the organization. The duties are Department wise assigned and legitimate duties of Officers & Staff viewed Indian can be on Railways website http://www.indianrailways.gov.in under Ministry of Railways / Railway Board / For IR Personnel / Codes And Manuals / PART B Manuals / Indian Railway Medical Manual Volume – I.

1)(b)(iii)

4(1)(बी)(iii)4(पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली पदधति. The procedure followe

the decision making process including channels ofsupervision कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न स्थापना कोड/स्थापना और चिकित्सा मैन्अल में निहित प्रावधानों पर आधारित हैं. सामान्य कार्यालयीन कार्यों के लिए, कार्यालय प्रक्रिया मैन्अल उपलब्ध है. सामान्य प्रक्रियात्मक निदेश भी समय-समय पर दोहराए/जारी किए जाते हैं और उपयोगकर्ता अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं. मुख्य उद्देश्य रचनात्मक दृष्टिकोणः; टीम भावनाः; कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टताः; कामकाज

4(1)(बी)(iv)	कार्यों के निर्वहन हेत्	और व्यवहार में पारदर्शिता; विभाग की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही	
4(1)(b)(iv)	निर्धारित मानक The	हैं.	
		The procedure/norms set for discharge of functions are based on the provisions contained in various Establishment codes/ Establishment and Medical manuals. For general office procedure, there is a manual of Office procedure. The general procedural instructions are also reiterated/issued from time to time and areavailable with user Officials. The key values areConstructive approach; Team Spirit; Excellence in Performance; Transparency in working and dealings; Responsible and accountability of department	
4(1)(बी)(v)	कंपनी में उपलब्ध या उनके	विकित्सा विभाग में रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड/आईआर कार्मिकों के	
4(1)(b)(v)	नियंत्रण में रखे गए या	लिए/कोड और मैनुअल/पार्ट बी मैनुअल/ भारतीय रेलवे मेडिकल	
	कर्मचारियों द्वारा अपने	मैनुअल वॉल्यूम-I एवं वॉल्यूम-II के साथ कार्यों के निर्वहन के लिए	
	कार्यों के निर्वहन के लिए	शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि वेबसाइट http://www.	
	उपयोग किए जाने वाले	Indianrailways. gov.in पर देख सकते है. हमारे बारे में/ रेल	
	नियम, विनियम, निर्देश,	कार्मिकों के लिए/ शक्तियों की अनुसूची वेबसाइट http://www.scr.	
	मैनुअल और रिकॉर्ड The	Indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है.	
4(1)(ৰী)(vi) 4(1)(b)(vi)	चिकित्सा विभाग में उपलब्ध या उनके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण. A statement of the categories of documents that are held or under the control of the Medical Department.	The Medical Department holds Indian Railway Medical manuals volume I & II on website http://www.indianrailways.gov.in under Ministry of Railways / Railway Board / For IR Personnel / Codes And Manuals / PART B Manuals / Indian Railway Medical Manual Volume — I & Volume — II. and Schedule of Powers for discharging the functions as Delegation of Powers etc. under head About us / For Railway Personnel / Schedule of Powers on website http://www.scr.indianrailways.gov.in चिकित्सा विभाग में कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लागू कुछ श्रेणियों के दस्तावेजों को सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता है. In the medical department certain categories of documents are required to be preserved and maintained under various applicable provisions of law viz.	
		1) दौरा कार्यक्रम Tour programmes. 2. प्रिस्क्रिप्शन की डुप्लीकेट पर्चियां. Duplicate slips of prescription. 3. इनडोर रोगियों का प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर. Prescription registers of indoor patients. 4. जलपान कक्ष, भोजन विक्रेताओं के स्टॉल आदि का निरीक्षण रिपोर्ट. Inspection reports of refreshment rooms, food vendorsstalls etc. 5. एआरएमई/प्राथमिक चिकित्सा बक्स निरीक्षण रिपोर्ट. ARME/First Aid Boxes inspection reports. 6. टीकाकरण/इनोक्यूलेशन के रजिस्टर.Registers of vaccination/inoculations.	

7. अस्पतालों एवं स्वास्थ्य इकाइयों के निरीक्षण रिपोर्टों की कार्यालय
प्रतियां. Office copies of inspection reports on Hospitals & HealthUnits.
8. संक्रामक मामलों और मृत्यु के रिपोर्टों की कार्यालय प्रतियां Office
copies of reports of infectious cases and deaths
9. निर्माण कार्यक्रम/एम एंड पी कार्यक्रम Works programmes/M&I
programmes.
10. सामान्य पत्राचार फ़ाइल. General correspondence files.
11. साधारण एक्स-रे प्लेट. Ordinary X-ray plates.
12. रेल दावा प्राधिकरण के सदस्यों के चिकित्सा परीक्षण रिकॉर्ड
Medical Examination records of Members of RailwayClaims Tribunals
13. बीमार होने की सूचना देने वाले मरीजों के बेड-हेड टिकट/तापमान
चार्ट/ओपीडी टिकट Bed-head tickets/Temp.charts/OPD tickets o
patients reporting sick
14. बीमारी, बीमारी निरंतरता और फिटनेस प्रमाण पत्र Sickness,
Continuation sickness & fitness Certificates
15. बीमार/ड्यूटी प्रमाण पत्र. Sick / Duty certificates.
16) चेस्ट क्लिनिक से संबंधित उम्मीदवारों का एमएमआर और
एक्स-रे प्लेट MMR of candidates and X-ray plates
pertaining to chest clinic
17. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टें. Medical Board reports.
18. अवैध प्रमाणपत्र. Invalidation certificates.
19. प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण. Initial Medical examination.
20. आवधिक चिकित्सा परीक्षण. Periodical medical examination.
21. नीतिगत मामलों के परिपत्रों की फ़ाइल Files of circular letter
on policy matters
22. दुर्घटना रिपोर्ट. Accident reports.
23. जन्म रजिस्टर. Birth Registers.
24. मृत्यु रजिस्टर. Death Registers.
25. मृत्यु प्रमाण पत्र. Death certificates.
26. मेडिको लीगल केस रिपोर्ट. Medico Legal case reports.
27. मेडिको लीगल मामलों के एक्स-रे प्लेट. X-ray plates of Medico
Legal cases.
28. चिकित्सा विभाग स्तर पर खरीदी गई दवाइयों एवं मेडिकल स्टोर
के खरीदी रिकार्ड Procurement records of medicines and medical
stores
procured at Medical Department level

	ı	
	दो या दो से अधिक व्यक्तियों	लागू नहीं है Not applicable
4(1)(b)(viii)	से गठित बोर्ड, परिषद, समिति	
	और अन्य निकायों से प्राप्त	
	स्टेटमेंट जो उसके अंतर्गत या	
	उसे सूचना देने के लिए गठित	
	हैं और क्या उन बोर्डों, परिषदों,	
	समितियों और अन्य निकायों	
	की बैठकें जनता के लिए प्रकट	
	हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत	
	जनता के पह्ंच में हैं.	
	A statement of the	
	boards, councils, committeesandother	
	bodies consisting of	
	two or more	
	persons constituted as its part or	
	for the purpose of its	
	advise, and as to whether	
	meetingof those boards, councils, committees	
	and other	
	bodies are open to the	
	public or the minutes of such meetings are	
	accessible for public	
4(1)(बी)(ix)		द.म.रेलवे वेबसाइट पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है
		http://www.scr. Indianrailways.gov.in के अंतर्गत- 1) हमसे संपर्व
		्रे करें/ आधिकारिक संपर्क नंबर / प्रशासनिक अधिकारियों के टेलीफोव
		नंबर और 2) हमसे संपर्क करें / दमरे टेलीफोन निर्देशिका.
		Information can be viewed on SCRLY website
		http://www.scr.indianrailways.gov.in_under-1)Contact us /
		Official Contact Numbers / Telephone numbers of
		Administrative Officers and 2) Contact us / SCR Telephone Directory.
4(1)(बी)(x)	प्रत्येक अधिकारी और	प्रतिपूर्ति की प्रणाली: सभी प्रतिपूर्ति का भ्गतान बैंकिंग चैनल और
4(4)(1)(1)	कर्मचारी को मिलने वाला	उचित भ्गतान वाउचर के माध्यम से किया जाता है. प्रत्येक
	मासिक पारिश्रमिक, जिसमें	3
		जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे की वित्त शाखा और कार्मिक शाखा
	विनियमों के अनुसार देय	
	प्रतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल	•
	हैं 	System of compensation: All compensation is paid through banking channel and proper payment vouchers. The
	The monthly remuneration received by	information regarding monthly remuneration received by
	each of the officers and	each officer and employee will be provided by Finance
	in the regulations	branch and Personnel branch of South Central Railway.
4(4)(-4)(-5)(-6)	प्रत्येक विभाग के लिए	चिकित्सा विभाग को व्यय करने हेतु रेल मंत्रालय से कार्य बजट
4(1)(बी)(xi)4(आबंटित बजट, जिसमें सभी	अनुदान के रूप में ₹. प्राप्त ह्आ है. इसे नीचे दिए गए विवरण के
1)(b)(xi)	। योजनाओं का विवरण,	अन्सार सभी नौ क्षेत्रीय इकाइयों में वितरित किया जाता है (आंकड़े
	प्रस्तावित व्यय और किए	हजारों रुपये में :)
1	1,	

	दर्शाया गया है	The Medical Department has received Rs. from Railways as working budget grant for theto mee The same is distributed to all nine field unit below (Figures in Thousands of Rupees:)	et the expenses.
	of all plans, proposed expenditure andreports	केंद्रीय अस्पताल/लालगुडा/सिकंदराबाद Central	₹.
	made रि	Hospital/Lallaguda/Secunderabad सिकंदराबाद मंडल Secunderabad Division	₹.
			₹.
		हैदराबाद मंडल Hyderabad Division	₹.
		विजयवाडा मंडल Vijayawada Division	₹.
		गुतकल मडल Guntakal Division 	
		गुंदूर मंडल Guntur Division	₹.
		नांदेड मंडल Nanded Division	₹.
		रायनपाडु उप-मंडल	₹.
		Rayanapadu Sub-Division	
		तिरुपति कारखाना अस्पताल	₹.
		Tirupati Workshop Hospital	₹.
4(1)(-4)(1)		কুল Total	••
4(1)(बा)(xii)4 1)(b)(xii)		चिकित्सा विभाग के लिए लागू नहीं है Not applicable to the medical department	
1)(D)(XII)	THE STATE OF STATE OF STATE OF	tot applicable to the medical department	
	विवरण सहित सब्सिडी		
	कार्यक्रमों को लागू करने का		
	तरीका The manner of execution of subsidy programmesincluding the amounts allocated and the details ofbeneficiaries ofsuch programmes		
4(बी)(xiii)	संस्थान द्वारा दी गई	चिकित्सा विभाग के लिए लागू नहीं है	
4(b)(xiii)	रियायतें, परमिट या	Not applicable to the medical department	
	प्राधिकार प्राप्त करने वालों का विवरण Particulars of recipients' of concessions, permits or authorizations granted by		
	the institute		
4(बी)(xiv)	उनके पास उपलब्ध या	संगठन, इसके विकास, उद्देश्य, योजना, ताकत	
4(b)(xiv)	उनके द्वारा रखी गई	· ·	nttp://www.scr.
	जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है	Indianrailways.gov.in पर पहले ही उपलब्ध करा Information relating to organization, objectives, plan, strength, etc. have alread available on company web	its evolution,

	Details in respect of the information available to or held by it reduced in an electronic form	http://www.scr.india	anrailways.gov.	<u>in</u>		
4(बी)(xv)	सार्वजनिक पुस्तकालय या	चिकित्सा विभाग किसी सार्वजनिक पुस्तकालय का रखरखाव नहीं				
4(b)(xv)	वाचनालय के कामकाजी	करता है. हालाँकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत				
	घंटों सहित जानकारी प्राप्त	· ·				
	करने हेत् नागरिकों के लिए	प्रश्न अग्रेषित कर सकते हैं या दमरे से संबंधित सामान्य जानकारी				
	उपलब्ध कराए गए	वेब साइट -www.scr. Indianrailways.gov.in से प्राप्त की जा				
	स्विधाओं का विवरण	सकती है.				
4(बी)(xvi)	जन सूचना अधिकारियों के	नाम Name	पदनाम	टेलीफोन नंबर	फैक्स नंबर	
4(b)(xvi)	नाम पदनाम एवं अन्य		Designation	Tel Number	Fax	
	विवरण					
	The names designations					
	and other particulars of the				number	
	Public Information Officers	डॉ सुरेखा गजिभये Dr SurekhaGajbhiye	अपर सीएमडी/ टीएंडए एवं जन सूचना अधिकारी		040- 27821373	
		श्री वाई सुब्रहमण्येश्वर राव Sri Y. Subrahmanyeswara Rao	Addl.CMD/T &A & Public Information Officer	040 - 27786807 040- 27785032		
4(बी)(xvii)	ऐसी अन्य कोई निर्धारित	ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञ-निबंधन व शर्तें संबंधित जानकारी;				
4(b)(xvii)	जानकारी	ऑनररी विजिटिंग	विशेषज्ञों की	सूची; संविदा	चिकित्सा	
	Such other information	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
		निबंधन व शर्ते; पंजीकृत फार्मास्य्टिकल फर्मी की सूची;				
		सर्जिकल फर्म पंजीकरण- निबंधन व शर्ते; वार्षिक मेडिकल इंडेंटों				
		की स्वीकृत दरें; स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों को				
मान्यताः चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रपत्रः चिकित्सा						
•		चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन - हमारे बारे				

में/विभाग/चिकित्सा वेब साइट पर-http://www.scr. Indianrailways.gov.in पर उपलब्ध हैं.

Information regarding Honorary Visiting Specialists-terms and conditions; list of Honorary Visiting specialists; Contract Medical Practitioners-terms and conditions; Registration of Pharmaceutical Firms-termsand conditions; List of registered Pharmaceutical firms; Surgical Firms Registration-terms and conditions; Accepted rates of Annual Medical Indents; Recognization of Private Hospitals' for Health care; Medical Reimbursement form; Nomination of Medical Officers for Medical Examinationare available on under - About us/Departments/ Medical on web site-http://www.scr.indianrailways.gov.in